संख्या-536/2023/1068/22-2-2023-17(422)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2023

विषयः- जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अश्वनी कुमार पुत्र श्री परमेश्वरदीन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2376/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022) दिनांक-24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अश्वनी कुमार पुत्र श्री परमेश्वरदीन, ग्राम-पन्नापुर, थाना-हैदराबाद, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। चन्द्रिका प्रसाद जब से ग्राम प्रधान हुए थे तभी से बन्दी अश्वनी कुमार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान नाम करने का दबाव बना रहा था। इसी रंजिश में दिनांक 05.11.2006 को 01 सहअभियुक्त भाई के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम प्रधान की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-482/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 506(2) के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 23.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 08 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 29 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की रिहाई से गाँव में पुनः कोई भी अप्रिय घटना होने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान नाम न करने की रंजिश में दिनांक 05.11.2006 को अपने भाई के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अश्वनी कुमार पुत्र श्री परमेश्वरदीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अश्वनी कुमार (बंदी संख्या-136/2013) पुत्र श्री परमेश्वरदीन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-536/2023/1068(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, लखीमपुर खीरी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-536/2023/1068/22-2-2023-17(422)/2023

दिनांक 18 अगस्त, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अश्वनी कुमार पुत्र श्री परमेश्वरदीन, ग्राम-पन्नापुर, थाना-हैदराबाद, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। चन्द्रिका प्रसाद जब से ग्राम प्रधान हुए थे तभी से बन्दी अश्वनी कुमार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान नाम करने का दबाव बना रहा था। इसी रंजिश में दिनांक 05.11.2006 को 01 सहअभियुक्त भाई के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम प्रधान की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-482/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 506(2) के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 23.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 08 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 29 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की रिहाई से गाँव में पुनः कोई भी अप्रिय घटना होने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान नाम न करने की रंजिश में दिनांक 05.11.2006 को अपने भाई के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अश्वनी कुमार पुत्र श्री परमेश्वरदीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।